

(15)  
कार्यालय कलेक्टर रायपुर  
// सार्वजनिक सूचना //

कमॉक १३ भू अर्जन / 2017

रायपुर दिनांक 15.1.2018

कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग संभाग क03 रायपुर द्वारा ग्राम छांटा में नवापारा - छांटा- कंटिया मार्ग निर्माण आपसी सहमति से भूमि कय नीति 2016 के तहत निम्नलिखित भूमि स्वामीयों की उनके नाम से समक्ष अंकित ग्राम छांटा तहसील अभनपुर की निजी भूमि कय किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। संबंधित भूमि स्वामियों से प्रारूप ख में भूमि विक्रय करने के संबंध में स्वीकृति प्राप्त किया जा चुका है।

क्रम	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं	रकबा (हे0में)
1	2	3	4	5
1	राहुल पिता रसीक	छांटा	950	0.010
2	दीनूराम, देवकुमार, डुमन फगुवा .नीलकण्ठ शांतिबाई पूर्णिमा ताराबाई पिता श्यामलाल	छांटा	61,568	0.04
3	बंसतकुमार पितापुनित राम तेली	छांटा	59	0.01
		कुल		0.06 हेक्टेयर

उक्त सूचना जारी दिनांक 15.1.2018 से 15 दिवस तक किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त भूमि से संबंध किसी प्रकार की स्वत्व के संबंध में आपत्ति हो तो लिखित में कार्यालय कलेक्टर रायपुर में प्रस्तुत किया जा सकता है। 15 दिवस के पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

कलेक्टर,

रायपुर (छ0ग0)

रायपुर दिनांक 15.01/2018

पू0क0 कमॉक १३ भू अर्जन / 2017

प्रतिलिपि:-

- 1:- प्रमुख सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3:- कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग संभाग क03 रायपुर को सूचनार्थ।
- 4:- आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ। अपने अधिनस्थ के माध्यम से सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित कराये जाने हेतु अग्रेषित।
- 5:- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू अर्जन अधिकारी अभनपुर अपने अधिनस्थ के माध्यम से सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित कराये जाने हेतु अग्रेषित।
- 6:- उप संचालक जन सम्पर्क रायपुर विभाग को सूचनार्थ। उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एक स्थानीय एवं एक राज्य स्तरीय समाचार में तत्काल प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
- 7:- प्रभारी अधिकारी एन.आई सी रायपुर वेबसाईट पर अपलोड हेतु अग्रेषित।
- 8:- तहसीलदार अभनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सूचना प्रकाशन जिला कार्यालय अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिका निगम, ग्राम छांटा ग्राम के पंचायत के सूचना पटल में अपने अधिनस्थ से करवा कर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर,

रायपुर (छ0ग0)